।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांकः 6303 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, मई 17/2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली।

विषयः— **जनपद चमोली में लोल्टी कस्बीनगर मोटर मार्ग के विस्तार के निर्माण हेतु 0.188है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण। (online No FP/UK/Road/32572/2018)**

संदर्भः— **फाईल नं0 08बी/यू0सी0पी0/06/169/2020/एफ0सी0/2078 दिनांक 31.12.2020.**

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में तीन बिन्दुओ में सूचना चाही गयी है के सम्बन्ध में आप द्वारा अपने पत्र सं0 640/व0भूमि दिनांक 03.05.2024 से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है जिसका अवलोकन करने पर निम्न कमियां पायी गयी जो निम्नानुसार हैः—

1— बिन्दु सं0 01 में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून द्वारा प्रस्ताव में प्रारम्भ लगभग 1 किमी0 लम्बाई में मार्ग पूर्व से निर्मित दिखाई दे रही है यदि इसमें कोई उल्लघंन हुआ है तो उसकी जानकारी प्रस्तुत की जाये, के सम्बन्ध में आप द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव के 01 किमी0 लम्बाई में वन अधिनियम का उल्लघंन नही हुआ है, जबकि प्रस्तावित संरेखण का लगभग 1 किमी0 लम्बाई में निर्मित मार्ग गूगल अर्थ में दिखाई दे रहा है, जो वन विभाग द्वारा बिना किसी स्वीकृति के निर्मित होना प्रतीत हो रहा है। इस सम्बन्ध में आप अपनी स्पष्ट आख्या एवं अभिलेख उपलब्ध कराये।

2— बिन्दु सं0 02 में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून द्वारा मात्र 0.188है0 क्षेत्र में 46 वृक्ष प्रभावित हो रहे है जिनमें अधिकतम ओक प्रजाति के है। के0एम0एल0 फाईल पर दर्शित जानकारी के अनुसार इन वृक्षो को बचा कर भी समरेखण बनाया जा सकता है। के सम्बन्ध में आप द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग पर वर्तमान में पुनः संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त केवल 40 वृक्ष ही प्रभावित हो रहे है संरेखण में कोई भी बदलाव नही किया गया है उक्त संरेखण ही उपयुक्त है। जो भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के द्वारा चाही गयी सूचना के अनुरूप सही नही है। बिन्दु सं0 2 में आप द्वारा प्रस्तावित समरेखण में आ रहे वृक्षो को बचाकर भी मोटर मार्ग का निर्माण किया जा सकता है के सम्बन्ध में कोई सुस्पष्ट आख्या नही दी गयी है, वृक्षो को बचाकर भी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु संरेखण बनाया जा सकता है के सम्बन्ध में अपनी निरीक्षण टिप्पणी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे। साथ यह भी अवगत कराना है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र सं0 2847/FP/UK/Road/32572/2018 दिनांक 16.06.2021 से वन संक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी को उक्त प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण हेतु निर्देश दिये गये जिसके क्रम में वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी के द्वारा पूर्व में स्थलीय निरीक्षण किया गया है जिसमें उनके द्वारा संरेखण में आ रहे बांज वृक्षो को बचाकर मार्ग के निर्माण किये जाने हेतु कहा गया, परन्तु संरेखण को परिवर्तन किये बगैर जिसमें बांज वृक्षो को बचाया जा सके या बिना औचित्य पूर्ण आख्या के ही प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है एवं पूर्व में 46 वृक्ष प्रभावित हो रहे है पुनः संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त केवल 40 वृक्ष प्रभावित हो रहे है जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि समरेखण में बदलाव किया गया है। चयनित समरेखण जिसमें आर0सी0सी0 पिल्लरो से सीमांकन किया गया है के जी0पी0एस0 कोडिनेट इस कार्यालय को उपलब्ध कराये ताकि पूर्व संरेखण का मिलान करने पर स्पष्ट हो कि आपके द्वारा समरेखण में बदलाव किया गया है या नही।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः— 6303 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः— वन क्षेत्राधिकारी, मध्य पिण्डर रेंज, थराली को उपरोक्तानुसार इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त बिन्दु सं0 01 के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून द्वारा प्रस्ताव में प्रारम्भ लगभग 1 किमी0 लम्बाई में मार्ग पूर्व से निर्मित दिखाई दे रही है यदि इसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन हुआ है या नहीं, से सम्बन्धित कार्यवाही करते हुए अपनी जाचं आख्या प्रस्तुत करे।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

o/c